

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

क्रम सं०	योजना / कार्यक्रम का नाम	लामार्थियों का प्रदत्त सुविधा (सामग्री/अनुदान / धनराशि)	योजना की पात्रता हेतु शर्तें	योजना हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया	योजना में लामान्वित करने हेतु सक्षम अधिकारी का पदनाम	अभ्युक्ति
1	पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10)	₹ 150.00 प्रतिमाह अधिकतम 10 माह हेतु एवं वार्षिक अनुदान के रूप में ₹ 750.00 एकमुश्त देय होगा।	माता-पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय अधिकतम ₹ 2,00,000.00 (दो लाख) हो।	छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति हेतु "scholarship.up.nic.in" की वेबसाइट पर ऑन लाईन आवेदन करना होता है।	निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	
2	दशमोत्तर छात्रवृत्ति	पाठ्यक्रम अवधि में शुपवार मासिक दरें निम्न हैं- Hostler Day Scholar Group 1 1200.00 550.00 Group 2 820.00 530.00 Group 3 570.00 300.00 Group 4 380.00 230.00	माता-पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय अधिकतम ₹ 2,00,000.00 (दो लाख) हो।	छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति हेतु "scholarship.up.nic.in" की वेबसाइट पर ऑन लाईन आवेदन करना होता है।	निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	
3	दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति	विश्वविद्यालय / फीस नियमन कमेटी द्वारा तय की गयी विभिन्न कोर्सों की निर्धारित दरें जो अधिकतम 50,000.00 प्रति छात्र से अधिक नहीं हो सकती।	माता-पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय अधिकतम ₹ 2,00,000.00 (दो लाख) हो।	छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति हेतु "scholarship.up.nic.in" की वेबसाइट पर ऑन लाईन आवेदन करना होता है।	निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	
4	शादी अनुदान	₹ 20000.00 एकमुश्त अधिकतम एक वित्तीय वर्ष में दो पुत्रियों हेतु 40000.00 देय होगा।	माता-पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय अधिकतम ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 46080.00 तथा शहरी क्षेत्र में ₹ 56460.00 हो तथा शादी की तिथि को कन्या की आयु 18 एवं वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिये।	लामार्थी को शादी अनुदान हेतु backwardbelfare.up.nic.in की वेबसाइट पर आवेदन ऑन लाइन करना होता है।	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बरेली	
5	'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण	₹ 10000.00 प्रति छात्र एकमुश्त प्रशिक्षण संस्था हो को देय होता है।	माता-पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय अधिकतम ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 19884.00 तथा शहरी क्षेत्र में ₹ 25546.00 हो। लामार्थी इण्टरमीडिएट पास, आयु अधिकतम 35 वर्ष एवं बेरोजगार होना चाहिये।	लामार्थी आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त करने के उपरान्त भर कर कार्यालय में जमा करेगा।	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बरेली	

नोट : पूर्वदशम् छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति, दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति, शादी अनुदान एवं 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण की नियमावली एवं शासनादेश विभागीय वेबसाईट www.backwardbelfare.up.nic.in पर भी देखे जा सकते हैं एवं छात्रवृत्ति से सम्बन्धित समय सारिणी scholarship.up.nic.in पर उपलब्ध है।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
बरेली